हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज

28-8-19

तहसीलदार किशनगढ़ बास की ओर से पेश हुआ। के दर्ज रजिस्टर हो। मौके पर सायल जरिये नोटिस तलब होकर दि० 13-9-19 को पेश हो।

13-9-19 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अवकाश पर है
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 27-9-19
को पेश हो।

रीडर

27-9-19

पत्रावली पेश हुई। प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से अंकित किया गया। पत्रावली बाद तामील होकर दाखिल रिकार्ड हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

अध्यासित द्वारा :- श्री सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस.)

प्रा. पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
67	26-8-19	27-9-19

उनवान

1- सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्डहोल्डर) किशनगढ़-बास जिला अलवर :- प्रार्थी

बनाम

1-पीरूसिंह पुत्र घमण्डा सिकलीगर,

2- ईसन, हसन, जमील पुत्रान रूस्तम मेव निवासी चौरबसई

3- जयनारायण, त्रिलोकचन्द प्रभूदयाल पुत्रान भवानी वगैरा जाति खाती निवासी खानपुरमेवान तहसील किशनगढ़-बास

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट.

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैं:- तहसीलदार किशनगढ़-बास ने प्रा. पत्र पेश किया कि ग्राम चौरबसई के राजस्व रिकार्ड में तरमीमशीट मिसल हकीयत व मूल नक्शा लट्ठा में नीचे दर्ज बटा नम्बरान के अनुसार शुद्ध करने के आदेश फरमावें। निम्नानुसार शुद्ध किया जाना है:-

क्र.	तरमीमीशीट ख. नं.	मिसल में दर्ज ख. नं.	नक्शा लट्ठा में दर्ज ख. नं.	नक्शा लट्ठा नीचे दर्ज ख.	शुद्ध किये जाने वाला ख. नं.
1-	429/1473	429/1473	429/1476	429/1473	429/1473
2-	439/1500	439/1500	439/1540	439/1500	439/1500
3-	461/1514	461/1514	460/1514	461/1514	439/1500
4-	193/1569	193/1569	193/1565	193/1569	193/1569
5-	705/1536	705/1536	705/1546	705/1536	705/1536
6-	1075/1559	1075/1559	1076/1559	1075/1559	1075/1559

तहसीलदार द्वारा उक्तानुसार दुरूस्ती किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2, 3 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि यदि राजस्व रिकार्ड में एकरूपता किये जाने हेतु शुद्धी की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अत: तहसीलदार किशनगढ़-बास द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड एवं जवाब के आधार शुद्धी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़-बास को उक्तानुसार शुद्धी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रति पालनार्थ भेजी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

Scanned by CamScanner